

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 09/2021 बउनवानी डॉ०भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार/प्र.अ.सत पुत्र शेर सिंह यादव, नि०-34,अल्कापुरी-ए,मुरलीपुरा जयपुर /स्थापना/भू.अभिलेख अनुभाग/डीएम को

GCMS No-2021/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
02.03.2021	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता/स्थापना/भू.अभिलेख अनुभाग/डीएम कोर्ट की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.12.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ. 2(02)आरटीआई/2020/07 दिनांक 04.01.2021 से तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता/स्थापना/भू.अभिलेख अनुभाग/डीएम कोर्ट को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. यह है कि ग्रामवासी दौलतपुरा श्री अमरजीत वगै. द्वारा अजीत भूमाफिया के विरुद्ध मा० जिला कलेक्टर को प्रस्तुत परिवाद सतर्कता शाखा को प्रेषित शुद्धा पर की गयी कार्यवाही व प्राप्त रिपोर्ट की प्रति मय संलग्नक परिवाद ग्रामवासी दौलतपुरा दिनांक 17.12.2020, 28.12.2020 प्रस्तुत जिला कलेक्टर पर की गयी कार्यवाही/निर्णय की प्रति।</li> <li>2. यह है कि उपनिबंधक राजस्व मण्डल अजमेर के कार्यालय पत्रांक प.11/शिकायत/राम/भरतपुर संभाग/2020/2600-2601 दिनांक 28.10.20(प्रति संलग्न) पर की गयी कार्यवाही निर्णय/जारी पत्रो द्वारा जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मय प्राप्त परिवाद की जाँच रिपोर्ट नोट शीट की प्रमाणित।</li> <li>3. यह है कि राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक प.18/शिकायत/राम/भरतपुर सम्भाग/2020/2421-2 दिनांक 7.10.2020 पर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी कार्यवाही/जाँच रिपोर्ट/निर्णय मय प्राप्त परिवाद एवं जारी पत्रों/जाँच अधिकारी नियुक्ति मय आर्डर शीट मय संलग्नक की प्रमाणित प्रति।</li> <li>4. यह है कि मा० राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक प.11(4)विविध/शिकायत/राज. भरतपुर सम्भाग/2020/2682-2683 दिनांक 26.10.2020 प्रेषित शिकायत पर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी कार्यवाही/निर्णय एवं रिपोर्ट एवं राजस्व मण्डल को प्रेषित रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मय संलग्नक प्राप्त परिवाद की प्र०प्रति।</li> <li>5. यह है कि माननीय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के पत्रांक/भू.अ/2020/564-565 दिनांक 26.11.2020 पर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा लिये गये निर्णय/आर्डर शीट/जारी पत्रांक एवं लिये गये निर्णय की प्रमाणित प्रति मय प्राप्त परिवाद की प्रमाणित प्रति।</li> <li>6. यह है कि न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक/कोर्ट/प्रा.पत्र रैफ./2020/3110 दिनांक 3.12.2020 पर तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रमाणित प्रति मय संलग्नक तथा इसी संदर्भित पत्रांक दिनांक 3.12.2020 के कम में श्रीमति राजरानी द्वारा माननीय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र बाबत उक्त पत्रांक दिनांक 3.12.2020 पर अपील के निर्णय पर रिब्यू पुनःविचार बाबत लिये गये निर्णय मय प्राप्त प्रा. पत्र एवं की गयी कार्यवाही की नोटशीट सम्पूर्ण की प्र०प्रति मय परिवादिया श्रीमति राजरानी द्वारा प्रेषित परिवाद/प्रा०पत्र दिनांक 9.12.2020 की प्रमाणित प्रति मय प्राप्ति दिनांक मय नोट शीट की प्रति।</li> <li>7. यह है कि तहसीलदार खण्डार के पत्रांक रीडर/2020/952 दिनांक 29.10.2020 मय संलग्नक रिपोर्ट पटवारी दौलतपुरा की प्रमाणित प्रति।</li> <li>8. यह है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा जारी 91 एलआरएक्ट के नोटिस रबी,2020 दिनांक 14.12.2020 मय रिपोर्ट मय खसरा परिवर्तनशील द्वारा पटवारी गिरदवार, ख०न० 172 गै.मु. तलाई बाबत मांगीलाल पुत्र लडडू जाट व अन्य तथा ख०न० 799/503 व 800/503 समस्त ग्राम दौलतपुरा गै०मु० तलाई के संबंध मे जारी नोटिस मय खसरा परिवर्तनशील मय रिपोर्ट पटवारी गिरदावर मय 91 एलआर एक्ट के नोटिस बाबत रबी 2020-21 के कम में लिये गये निर्णय की प्र०प्रति मय आर्डर शीट।</li> <li>9. यह है कि सम्पर्क पोर्टल पर प्रेषित परिवाद क्रमांक 12200789012345 द्वारा श्रीमति राजरानी यादव/भूपेन्द्र सिंह यादव दिनांक 2.12.2020 बाबत तहसीलदार खण्डार द्वारा गैर मुमकिन तालाब पर अवैध अतिक्रमण बाबत इस संबंध में तहसीलदार खण्डार द्वारा तैयार/प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 7.12.20 मय जाँच रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर तथा जाँच रिपोर्ट दिनांक 14.12.20 द्वारा उपजिला कलेक्टर खण्डार एवं लिये गये अन्तिम निर्णय/आदेश की प्र.प्रति।</li> </ol>


10. यह है कि इसी क्रम में सम्पर्क पोर्टल पर प्रस्तुत परिवाद क्रमांक 12202119079919 दिनांक 11.12.20 जो राजस्व मण्डल/जिला कलेक्टर स0मा0 की प्रमाणित प्रति मय प्राप्त जाँच रिपोर्ट/निर्णय/आदेश की सम्पूर्ण प्रति मय परिवाद दिनांक 11.12.20 राजरानी /भूपेन्द्र सिंह की प्र0प्रति विरुद्ध तहसीलदार खण्डार बाबत गै0मु0 तालाब की भूमि पर अतिक्रमण मय संलग्नक नक्शा गै0मु0 तालाब की प्रति।

11. यह है कि अति0 जिला कलेक्टर स0मा0 के कार्यालय पत्रांक 265/विविध परिवाद/सतर्कता/2019/332 दिनांक 2.6.20 एवं 20.6.20 की प्र0प्रति मय नोट शीट मय परिवाद/संलग्न तथा सतर्कता शाखा में दर्ज परिवाद बाबत राज्य सरकार का परिपत्र या जिला कार्यालय में प्रस्तुत विषय का पत्र तथा जवाब पत्र एसपीएसएसएबीसीपी 958बी/प.6(106) एसएसबी/डीई/484-85 दिनांक 19.6.20 मय संलग्नक की प्र0 प्रति तथा उस पर लिये गये निर्णय/नोट शीट की प्र0प्रति जो अति0 जिला कलेक्टर स0मा0 को प्रेषित शुद्धा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता/स्थापना/भूअभिलेख अनुभाग/डीएम कोर्ट द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता/स्थापना/भूअभिलेख अनुभाग/डीएम कोर्ट को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक रीडर/सूकाअ/2021/466 दिनांक 11.2.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2020 के बिन्दु संख्या 7,8,9,10 में से बिन्दु संख्या 7,9,10 की सूचना अपीलान्त द्वारा शुल्क जमा कराने के उपरान्त तहसीलदार खण्डार के पत्रांक रीडर/सूकाअ/21/387 दिनांक 8.2.2021 से अपीलान्त को रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी जा चुकी है बिन्दु संख्या 5 की सूचना प्रभारी अधि. भूअ. के पत्रांक प.14/7/22/तरमीम/भूअ./रि./2020/1473 दिनांक 23.12.2021 से कुल 9 पृष्ठों की सूचना अपीलान्त को भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 6 की सूचना ( राजरानी यादव द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 9.12.2020 कोर्ट अनुभाग में आना नहीं पाये जाने के कारण) उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं होने के क्रम में पत्रांक कोर्ट/रीडर/21/349 दिनांक 15.2.2021 से अपीलान्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। बिन्दु संख्या 1 व 11 की आंशिक सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग के पत्रांक 88-92 दिनांक 28.1.2021 से एवं बिन्दु संख्या 11 की आंशिक सूचना प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग के पत्रांक 553 दिनांक 29.1.2021 से कोपिस्ट कार्यालय हाजा को भिजवायी जाने पर कोपिस्ट द्वारा उक्त दोनो अनुभागों की सूचना तैयार कर अपीलान्त को पत्रांक 569 दिनांक 19.2.2021 एवं 588 दिनांक 24.2.2021 से जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 2,3,4 की सूचना हेतु राशि जमा होने के उपरान्त कोपिस्ट कार्यालय हाजा के पत्रांक 521 दिनांक 11.2.2021 से अपीलान्त को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपीलान्त को भिजवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.12.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,5,7,9,10,11 की सूचना संबंधितों द्वारा अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 2,3,4 की सूचना प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग द्वारा अपीलान्त को पूर्व में उपलब्ध करवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 6,8 की सूचना से संबंधित रिकार्ड प्रभारी अधिकारी कोर्ट अनुभाग एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण दिया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार चाही गयी सूचना में से कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलान्त को सूचना उपलब्ध हो चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

  
( सजेंद्र किशन )  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर